न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 22/2021

रामगोपाल पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल

......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील वादी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 02.02.2021

निर्णय दिनांक : 29.09.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 191 खसरा नं0 995 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा व वादी की मां का नाम काली पत्नी स्व. भूरा दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र भंवरलाल एवं वादी की मां का वास्तविक नाम कालीबाई पत्नी भंवरलाल है। जिसको वादी गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भंवरलाल एवं काली पत्नी स्व. भूरा के स्थान पर कालीबाई पत्नी भंवरलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में रामगोपाल पुत्र भंवरलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भंवरलाल एवं वादी की मां का नाम काली पत्नी स्व. भूरा के स्थान पर कालीबाई पत्नी भंवरलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भंवरलाल एवं वादी की मां का नाम काली पत्नी स्व. भूरा के स्थान पर कालीबाई पत्नी भंवरलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 02.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1307 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार गोपाल का पूरा नाम रामगोपाल है इसी प्रकार वादी के पिता का पूरा नाम भंवरलाल है। गोपाल पुत्र भूरा एवं रामगोपाल पुत्र भंवरलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा तथा वादी की मां का सही नाम कालीबाई पत्नी भंवरलाल उर्फ भूरा सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं एवं रामनाथ पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी कालूपुरा सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 191 खसरा नं0 995 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम गोपाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा एवं वादी की मां का नाम काली पत्नी स्व. भूरा के स्थान पर कालीबाई पत्नी भंवरलाल उर्फ भूरा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी एवं वादी की मां के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner